न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 11/2023

उनवान

1. विमलचन्द पिता रतन लाल जैन नि0 04–सी–09 आर0सी0 व्यास कॉलोनी जिला भीलवाडा।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती लादी पत्नि गोपी कुम्हार नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री भैरूलाल पिता खेमा कुम्हार नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती फेफी पत्नी खेमा नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री उच्छबलाल पिता उदयराम नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम जवासिया प.ह. दूदिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 290 की आ.न. 64/1 रकबा 0.0759है0, आ.न. 65/1 रकबा 0.0506है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.1265 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.02.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1,2,4 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 3 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 3 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम जवासिया प.ह. दूदिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 290 की आ.न. 64/1 रकबा 0.0759है0, आ.न. 65/1 रकबा 0.0506है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.1265 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही [illegible] नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को [illegible] लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:34:00 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner